



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं. NCST/ATY-1729/MP/406/2024-RO-BH

दिनांक : 01.10.2024

सेवा मे,

श्री हरिनारायण चारी मिश्रा
पुलिस आयुक्त,
आयुक्तालय,
भोपाल, मध्य प्रदेश 462011
Email Id: pc.bhopal@mppolice.gov.in
Tel. No: 0755 2443599

विषय: श्री श्यामू टेकाम, फ्लेट नं. 5/2 झरनेश्वर कॉम्प्लेक्स नार्थ टी.टी. नगर, भोपाल (म.प्र.) - आवेदक के जनरेटर सेट का किराया न देने और न ही जनरेटर को अनावेदकों द्वारा निकालने देने एवं आवेदक के साथ जातिगत आधार पर गाली-गलौच करने के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 06.06.2024 (प्रतिलिपि संलग्न)

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषक/जांच की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, सम्मेलन कक्ष, 6वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **04.11.2024 को 2:00 PM** बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय


(एच.आर. मीणा/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग में उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:

श्री श्यामू टेकाम,
फ्लेट नं. 5/2 झरनेश्वर
कॉम्प्लेक्स नार्थ, टी.टी. नगर, भोपाल